भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या – 827**
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को दिया गया)

**<u>शेल कंपनियों का पंजीकरण</u>**

**827. प्रो. एम. वी. राजीव गौडा :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय इस बात की जांच कराना चाहता है कि कुछ शेल कंपनियों का पंजीकरण किया गया है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ऐसी कंपनियों द्वारा पंजीकरण के समय दिए गए कार्यालय स्थान के किराए के वास्तविक भुगतानकर्ताओं की जांच कराने की मंशा रखती है;
(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या बाध्यताएँ हैं;
(ड.) क्या किसी ऐसी शेल कंपनियों के बैंक खातों के अंतर्गत लेन-देन की जांच और इस बात का सर्वेक्षण किए जाने हेतु जांच का आदेश दिया गया है कि ऐसी कितनी कंपनियां मंत्रालय की कार्यालयी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री** **(श्री अरुण जेटली)**

**(क) से (घ) :** कंपनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट या निरीक्षक की रिपोर्ट या लोकहित में किसी कंपनी के कार्यों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों आदि प्रस्तुत करके किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना के सबूत अनिवार्य करना, निदेशकों के आवासीय पते और अनिवार्य निदेशक पहचान संख्या (डीआईएऩ) आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान सहित निदेशकों की पहचान स्थापित करना और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन सभी अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी व्यवसायिक की घोषणा जैसे विभिन्न प्रावधान शामिल करते हुए कंपनी के निगमन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

(ड.) और (च) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार को उन मामलों में किसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का अधिकार है जहां कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष की अवधि के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने में असफल रहती है या ज्ञापन के भागीदार 180 दिनों की अवधि के भीतर अपने अंशदान का भुगतान न करें या जहां कोई कंपनी दो वर्षों से कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं करती है।

*****